

यदि राष्ट्रपति ने खारजि की दया याचिका तो मृत्युदंड के दोषियों के लिये अगला वकिलप क्या है?

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रपति रामनाथ कोव्दि ने जगत राय की दया याचिका खारजि कर दी है उसे सहयोगियों के साथ बहिर के रामपुर श्यामचंद गाँव में 2006 में सोते समय एक महिला और पाँच नाबालगि बच्चों की आग लगाकर हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मृत्यु की सज़ा को बरकरार रखा था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका अस्वीकार करने के बाद भी मृत्युदंड के दोषी के लिये न्यायिक वकिलप मौजूद रहते हैं।

दया याचिका कब राष्ट्रपति के पास पहुँचती है?

- एक वचिरण न्यायालय (trial court) द्वारा पारति मृत्युदंड की सज़ा की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है। तत्पश्चात् दोषी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है।
- सतिंबर 2014 में उच्चतम न्यायालय की एक संवधान पीठ ने अवधारति कथि क मृत्युदंड की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के नरिणय के वरिद्ध अपील की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की एक खंडपीठ द्वारा की जाएगी।
- यदि उच्चतम न्यायालय इस तरह की अपील को खारजि कर देता है, तो दोषी एक पुनरीक्षण याचिका दाखलि कर सकता है और इसके पश्चात् एक उपचारात्मक याचिका (curative petition) दायर कर सकता है।
- यदि इन सभी को खारजि कर दिया जाता है, तो दोषी के पास दया याचिका (mercy petition) का वकिलप होता है।
- दया याचिका पर नरिणय देने के लिये कोई नरिधारति समय सीमा नहीं है।

क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्ति

- भारतीय संवधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति और कुछ मामलों में दंडादेश के नलिंबन, परहारि या लघुकरण की शक्ति प्रापत है।
- अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रापत है लेकि यह शक्ति मृत्युदंड के लिये नहीं है।
- राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर क्षमा की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिये इस दया याचिका को गृह मंत्रालय के पास भेजता है।
- मंत्रालय इसे संबंधति राज्य सरकार को भेजता है, जवाब के आधार पर यह मंत्रपरिषद की ओर से अपनी सलाह तैयार करता है।
- कई मामलों में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है क दिया याचिका पर नरिणय लेते समय राष्ट्रपति को मंत्रपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा। इस संबंध में 1980 में मारु राम बनाम यूनयिन ऑफ इंडिया और 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले महत्वपूर्ण हैं।
- यद्यपि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिये बाध्य हैं लेकि अनुच्छेद 74(1) उन्हें एक बार पुनर्वचिर के लिये इसे वापस भेजने की शक्ति देता है।
- यदि मंत्रपरिषद किसी भी बदलाव के खिलाफ फैसला करती है तो राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई वकिलप नहीं है।

राष्ट्रपति के नरिणय के बाद की स्थिति

- अक्तूबर 2006 में ईपु सुधाकर तथा अन्य बनाम आंध्र प्रदेश और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभधारति कथि क अनुच्छेद 72 या 161 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
- उनके नरिणय को नमिनलखिति आधार पर चुनौती दी जा सकती है-
 - (a) इसे बुद्धमितापूर्ण पारति न कथि गया हो।
 - (b) इसे बदनीयति से पारति कथि गया हो।
 - (c) यह अपरपिकव या पूरी तरह से अप्रासंगिक वचिरों पर आधारति होकर पारति कथि गया हो।
 - (d) प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में न रखा गया हो।
 - (e) यह स्वेच्छाचारति से प्रभावति हो।

क्या राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका अस्वीकार करने की स्थिति में उच्च न्यायालय इनका पुनरीक्षण कर सकता है?

- यह प्रश्न उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबति है।

- छत्तीसगढ़ के सोनू सरदार को 2004 में दो नाबालगों सहित एक स्क्रैप डीलर के परिवार के पाँच सदस्यों की हत्या के लिये 2008 में मौत की सज़ा सुनाई गई थी ।
- राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका अस्वीकार करने के बाद सोनू सरदार ने 2015 में दिल्ली उच्च न्यायालय में "देरी, शक्तिका अनुचित प्रयोग और अवैध एकांत कारावास" का हवाला देते हुए याचिका को अस्वीकार किये जाने को चुनौती दी ।
- 28 जून, 2017 को उच्च न्यायालय ने मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया ।
- केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इस नरिणय को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2017 को एक नोटसि जारी किये ।
- सरकार ने तर्क दिया कि केवल सर्वोच्च न्यायालय को दया याचिका के खारजि करने के राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं का वचिरण करना चाहिये न कि उच्च न्यायालय को ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mercy-plea-rejected-by-president-what-next-for-death-row-convicts>

